न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

———————

:– दो अपीलें:–

———————

पहली अपील:–

———————

अपील संख्या :– 20/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट (दर्ज रजिस्टर धारा 225)

उनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर
2. शकुन्तला पत्नी सूरजभान जाति अहीर
3. सतवीर पुत्र सूरजभान जाति अहीर
4. नरेश कुमार पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

:——— अपीलांटान

बनाम

1 लक्ष्मण पुत्र सुल्तान कौम मीणा निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

:———— असल रेस्पो0

2 शेरसिंह पुत्र सूरजभान जाति अहीर
3 किरण पुत्री सूरजभान जाति अहीर
4 कविता पुत्री सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)
5 तहसीलदार लैण्ड होल्डर, कोटकासिम

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 2.4.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा
2. वकील रेस्पो0 अराल :– श्री एन0 के0 तिवाडी

दूसरी अपील :–

अपील संख्या :– 109/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर

:—— प्रार्थी/अपीलांट

बनाम

1 लक्ष्मण पुत्र सुल्तान कौम मीना निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)
2 शकुन्तला पत्नि स्व0 सूरजभान
3 सतबीर पुत्र स्व0 सूरजभान
4 नरेश कुमार पुत्र स्व0 सूरजभान निवासीयान ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर वारिस काबिज जायदाद मृतक सूरजभान पुत्र मोहर सिंह
5 ओम प्रकाश पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:—— अप्रार्थी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 2.4.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमर चन्द चौधरी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील रेसपो0 सं0 1 — श्री एन0 के0 तिवाडी

निर्णय

दिनांक 25.10.2021

---

1 उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित आराजी एक समान है तथा तथ्य भी एक समान है और एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ पेश की गई है । इसलिये इन अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2 उपरोक्त दोनों अपीलें विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/2010 उनवान राजस्थान सरकार बनाम लक्ष्मण वगैरा अन्तर्गत धारा 175 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 2.4.2018, जिसके द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 आर0 टी0 एक्ट के तहत पेश की गई है ।

3 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार, कोटकासिम ने विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 1.16 हेक्टेयर वाके ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जमाबन्दी सम्वत 2064 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 लक्ष्मण पुत्र सुल्तान कौम मीना साकिन देह पटटेदार गैर खातेदार दर्ज है । पहले यह भूमि इसके पिता सुलतान पुत्र मंगल जाति मीना के नाम दर्ज थी । सुलतान ने जरिये इकरारनामा दिनांक 24.12.1985 से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को बेचान कर दी तथा भूमि का खाता भी दे दिया । विकेता सुलतान जाति से मीना है, जो जाति अनुसूचित जन जाति में आती है और केता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जाति से अहीर है, जो कि सवर्ण जाति में आती है । इस प्रकार उक्त इकरारनामा के आधार पर किये गये बेचान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल कर भूमि को राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश फरमावें । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 2.4.2018 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र मोहर सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जाति अहीर ने अपील संख्या 20/2018 उनवान ओमप्रकाश वगैरा बनाम लक्ष्मण वगैरा तथा अपील संख्या 109/2018 उनवान सरकार बनाम लक्ष्मण वगैरा प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है ।

4 अपील संख्या 20/2018 में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी का बेचान जरिये इकरारनामा अनुसूचित जन जाति (मीणा) के व्यक्ति द्वारा अन्य पिछडा वर्ग की जाति अहीर के व्यक्ति को किया गया है । जो बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) की प्रावधानों के प्रतिकूल किया गया है । यह सुस्थापित कानून है कि अगर बेचान में धारा 42 (बी) का उल्लंघन होता है तो विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाने चाहिये, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमको बेदखल कर अप्रार्थी संख्या 01 लक्ष्मण को कब्जा प्राप्त करने का आदेश दे दिया । जबकि कानूनन उक्त आराजी सिवायचक दर्ज होनी चाहिये । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार कर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावें । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2009 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 217, 2018–19 (सप्लीमेंटरी) आर0 आर0 टी0 पेज 297, 2018 आर0 बी0 जे0 पेज 315 का हवाला दिया ।

5 अपील संख्या 109/2018 उनवान सरकार बनाम लक्ष्मण में प्रार्थी अपीलांट राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर अभिकथन किया है कि यह अपील राज्य सरकार की ओर से पेश की गई है । राज्य सरकार की ओर से अपील पेश करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं यथा श्रीमान जिला कलेक्टर से अपील पेश करने की स्वीकृति लेना, विधिक सलाह लेना आदि से गुजरना पडता है । इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है । अतः निवेदन है कि धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी को माफ किया जावे । विद्वान राजकीय अभिभाषक ने गुणावगुण पर तर्क दिये कि पत्रावली पर यह तथ्य बखूबी साबित है कि विवादित आराजी का बेचान जरियें इकरारनामा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति द्वारा सर्वण जाति के व्यक्ति को किया गया है । इस बेचान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) का उल्लंघन हुआ है । धारा 42 (बी) का उल्लंघन होने पर विवादित भूमि सिवायचक दर्ज की जाती है । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर0 टी0 एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

खारिज करते हुये विवादित आराजी का कब्जा वापिस विक्रेता, जो कि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है, को दिलाने का आदेश पारित कर दिया । तहत अदालत को चाहिये था कि हमारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश देती । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जाकर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावें ।

6 रेस्पो0 संख्या 01 लक्ष्मण पुत्र सुलतान जाति मीना के विद्वान वकील का कथन है कि राज्य सरकार की ओर अपील मियाद बाहर पेश की गई है । देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है । इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । गुणावगुण पर विद्वान वकील ने तर्क दिये कि विवादित आराजी का बेचान जरिये इकरारनामा हमारे पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नहीं किया गया है । ना तो उक्त इकरारनामा लिखाया गया है और ना ही पब्लिक नोटेरी से तस्दीक कराया गया है । केतागण ने फर्जी इकरारनामा एवं शपथ तैयार करवाये हैं । कानूनन अनुसूचित जन जाति द्वारा सवर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में जरिये इकरारनामा/वयनामा आराजी का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता । केतागण ने जबरन फर्जी इकरारनामा के आधार पर हमारी मेरी भूमि पर कब्जा कर रखा है । कब्जा वापस लेने हेतु मैंने केतागण, जो कि सवर्ण जाति के व्यक्ति है, के खिलाफ धारा 183 आर0 टी0 एक्ट के तहत कार्यवाही कर रखी है । इसलिये राज्य सरकार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारपा 175 आर0 टी0 एक्ट चलने योग्य नहीं है । किसी प्रकार का कोई बेचान नहीं हुआ है । इसलिये विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज नहीं किया जा सकता । हमको सही तौर पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम अपील संख्या 109/2018 में मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट (राज्य सरकार) द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । इसके लिये हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया । नकल जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 1.16 हेक्टेयर का लक्ष्मण पुत्र सुलतान जाति मीना पट्टेदार गैर खातेदार है । इकरारनामा दिनांक 24.12.1985 द्वारा अप्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 लक्ष्मण के पिता सुलतान मीना ने भूमि का बेचान अप्रार्थी अपीलांट नम्बर 01 ओमप्रकाश तथा अपीलांट नम्बर 2 ला0 6 के पति व पिता अप्रार्थी सूरजभान को किया है । मौका जांच रिपोर्ट में उक्त विवादित भूमि पर सूरजभान व ओमप्रकाश पुत्रान मोहरसिंह जाति अहीर का कब्जा बताया गया है ।

9 उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि विवादित भूमि का रेस्पो0 लक्ष्मण पुत्र सुलतान मीना पट्टेदार, गैर खातेदार है । जो इकरारनामा दिनांक 24.12.1985 पेश किया गया है, उसको प्रार्थी अपीलांट राज्य सरकार द्वारा ना तो प्रदर्श कराया है । प्रदर्श ना कराने की स्थिति में उक्त इकरारनामा साक्ष्य में पढे जाने योग्य नहीं है । उक्त इकरारनामा पर केतागण सूरजभान, ओमप्रकाश पुत्रान मोहरसिंह के हस्ताक्षर भी नहीं है । इतना ही नहीं, उक्त इकरारनामा पर जिस राजेन्द्र सिंह यादव व्याख्याता की गवाही कराई गई है, उसको उक्त इकरारनामा को अनुप्रमाणित कराने हेतु तहत अदालत में पेश नहीं किया गया है । जबकि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे दस्तावेजों, जो कि अपंजीकृत हो, को साक्षियों से अनुप्रमाणित कराया जाना आवश्यक है । उपरोक्त सभी विधिक त्रुटियों के कारण अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति को बेचान करना साबित नहीं है । जब बेचान साबित नहीं है तो ऐसी स्थिति में धारा 175 आर0 टी0 एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती । तहत अदालत ने सही तौर पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं ।.

10 तहत अदालत ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 को अपने निर्णय में जो आदेश दिये हैं, उसमें भी हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं, क्योंकि इस निर्णय के पैरा नम्बर 9 में विस्तृत विवेचना की जाकर यह साबित हो चुका है कि बेचान सिद्ध नहीं हुआ है और मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार यह साबित है कि विवादित भूमि पर अपीलांटस ओमप्रकाश वगैरा ने कब्जा कर रखा है । इसलिये रेस्पो0 लक्ष्मण, जो कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है, अपनी पट्टेदारी गैर खातेदारी भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु राक्षग न्यायालय में चाराजोही करने के लिये राक्षग है । ।

11 जहां तक अपील सांख्या 20/2018 के विद्वान वकील अपीलांटरा द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों का सम्बन्ध है तो हगने इन न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया । न्यायिक दृष्टांत आर0 आर0 टी0 2009 (1) पेज 217 एवं 2018–19 (सप्लीमेंटरी) आर0 आर0 टी0 पेज 297 के प्रकरणों में पंजीकृत बयनामा से अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचान किया गया था । इसी प्रकार आर0 वी0 जे0 (25) 2018 पेज 315 के प्रकरण में अपंजीकृत बयनामा के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने सामान्य वर्ग की जाति के व्यक्ति को बेचान किया है । उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टांतों के प्रकरणों में विकेता (अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति) खातेदार थे और उन्होंने पंजीकृत बयनामा/अपंजीकृत बयनामा द्वारा भूमि का हस्तांतरण सवर्ण जाति के व्यक्तियों को किया है । बेचान दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित था । इसलिये इन न्यायिक दृष्टांतों के प्रकरण में धारा 175 आर0 टी0 एक्ट की कार्यवाही अमल में लाई गई थी । जबकि मौजूदा प्रकरण में इस निर्णय के पैरा नम्बर 9 में की गई विस्तृत विवेचना के परिप्रेक्ष्य में बेचान सिद्ध नहीं है । इस प्रकार इन न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य और मौजूदा प्रकरण के तथ्य भिन्न है । इसलिये इन न्यायिक दृष्टांतों के प्रावधान मौजूदा प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं ।

12 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हर दोनों अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

13 अतः आदेश है कि हर दोनों अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.4.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

14 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

अपील संख्या :– 20/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट (दर्ज रजिस्टर धारा 225)

उनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर
2. शकुन्तला पत्नी सूरजभान जाति अहीर
3. सतवीर पुत्र सूरजभान जाति अहीर
4. नरेश कुमार पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

:——— अपीलांटान

बनाम

1 लक्ष्मण पुत्र सुल्तान कौम मीणा निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

:———— असल रेस्पो0

2 शेरसिंह पुत्र सूरजभान जाति अहीर

3 किरण पुत्री सूरजभान जाति अहीर

4 कविता पुत्री सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

5 तहसीलदार लैण्ड होल्डर, कोटकासिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 2.4.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 असाल :– श्री एन0 के0 तिवाडी

दूसरी अपील :–

अपील संख्या :– 109/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर

:——— प्रार्थी/अपीलांट

वनाम

1 लक्ष्मण पुत्र सुल्तान कौम मीना निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

2 शकुन्तला पत्नि स्व0 सूरजभान

3 सतवीर पुत्र स्व0 सूरजभान

4 नरेश कुमार पुत्र स्व0 सूरजभान निवासीयान ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर वारिस काबिज जायदाद मृतक सूरजभान पुत्र मोहर सिंह

5 ओम प्रकाश पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:——— अप्रार्थी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
कोटकासिम दिनांक 2.4.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री एन0 के0 तिवाडी

पर्चा डिक्री

दिनांक 25.10.2021

हर दोनों अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.4.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर